

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम
 गु. नं 53/15 तारीख 29 जून 16-9-15

उत्पान - क्षीमति विद्यादेवी बनाम रामप्रसिंह केसे

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर भी रामप्रसिंह की गुणा No. के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पाटी व कील की एक तरफा बंधस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी गणों को आगामी सुनवाई तिथि तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि ग्राम जैसनी के ख. नं.

125	131	144	145	147
0.09	0.30	0.10	0.09	0.24
148/1308	184	185	207	209
0.07	0.15	0.10	0.08	0.06
210	211	212	213	
0.10	0.03	0.03	0.14	
1058	1059	1093	1094	1095
0.38	0.07	0.31	0.32	0.28
1096	1097	1098	कुल	
0.28	0.39	0.19		

किता 22 कुल रकबा 3.80 हे. की मोबे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थी गणों को आरिथे नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 26. 10.15 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (कौली)

2468-84
 10-9-15

6/15 प्रार्थी वकील उपो। अप्रार्थी नं 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 के नोटिस विधिवत लाफील हो चुके हैं किन्तु उपस्थित नहीं हुए हैं। अप्रार्थी नं. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14 के नोटिस भ्रम लाफील प्राप्त हुए हैं। अप्रार्थी नं. 15 का नोटिस रजि. No. रिजिट्र पेश नहीं करानेस जारी नहीं हुआ है। P.O. सा. भवकाश पर पधारें चले भ्रमि आदेश दिनांक 1.12.15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक	विवरण
1-12/15	वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी <u>अनकाश सूर</u> है। गतानुसार दिनांक <u>5-1-16</u> को पेश हो। <u>21/1</u>
5/16	वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी <u>कृष्ण मणि</u> है। गतानुसार दिनांक <u>4-2-16</u> को पेश हो। <u>21/1</u>
4-2-16	अर्धी वकील उप। अर्धी नं. 1, 8 ता. 13, 16, 20 एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है अर्धी वकील नं. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15 के नोटिस तलपाना पेश हो आइन्दा दि. 3.3.16 को पेश हो। <u>21/1</u>
3.3.16	अर्धी वकील उप। गतादेशिका की पालना कर 4.4.16 को पेश हो। <u>21/1</u>
621 11.3.16	
4.4.16	अर्धी वकील उप। मूल दावा में इनके लक्षण अदम लक्ष्मी शाह डर डी इलाहिर उतः अर्धी व पते पर नोटिस तलपाना पेश हो। वास्ते तलवी 13.5.16 को पेश हो। <u>21/1</u>
21-7-16	पत्रावली जनरल तारीख पेशी से क्रिंक 1-8-16 में निपत की जाती। अर्धी वकील ने मिसलक Not Press में खारिज कौन के लिए अर्धी पत्र पेश किया है अर्धी फव मिसलक
Not Press 21/1	

फर्द अहकाम

प्रस्तुत होने पर पत्रापत्नी तलब की गई। प्रार्थी
वकील ने कथन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र T.9.
को चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए यह प्रार्थनापत्र
Not Press में खारिज कर दिया जावे। प्रार्थी वकील
के कथन एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर यह प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not Press में खारिज
किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार
टोडाभीम को भिजवाई जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)